इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 15 | अंक संख्या 12 | जुलाई, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ..... 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ..... 4
विनियामक के कथन 4
आर्थिक संवेष्टन 5
नयी नियुक्तियाँ..... 5
विदेशी मुद्रा 6
शब्दावली 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार..... 7
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें..... 8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

6 से 8 जून, 2023 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक की मुख्य बातें

- पुनर्खरीद (Repo) दर 6.5% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.75% पर अपरिवर्तित।
- वित्त वर्ष 24 के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान सीमांत रूप से घटाकर 5.1% रखा गया।
- वित्त वर्ष 24 के लिये सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के अनुमान 6.5% पर रखे गए।
- 1ली तिमाही के लिये वृद्धि का अनुमान 8%, 2री तिमाही के लिये 6.5%, 3री तिमाही के लिये 6% और 4थी तिमाही के लिये 5.7% अधिकीलित किया गया।
- बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPI) जारीकर्ता ई-रूपी वाउचर (e-RUPI vouchers) जारी कर सकते हैं।
- बैंक रूपे पूर्व-प्रदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड (RuPay Prepaid Forex Card) जारी करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक बैंकेतर पीपीआई कंपनियों को ई-रूपी वाउचर जारी करने की अनुमति देगा

ई-रूपी वाउचरों के प्रवर्तन/जारी किए जाने के प्रसार-क्षेत्र (scope) को व्यापक बनाने के उद्देश्य के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPI) कंपनियाँ ई-रूपी वाउचर भी जारी कर सकती हैं। वर्तमान में, बैंकों द्वारा उद्देश्य-विशिष्ट ई-रूपी डिजिटल वाउचर जारी किए जाते हैं। अब (i) बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता कंपनियों को ई-रूपी वाउचर जारी करने की अनुमति देकर (ii) व्यक्तियों की ओर से ई-रूपी वाउचर के प्रवर्तन (जारी किए जाने) को समर्थ बना कर और (iii) प्रवर्तन (जारी किए जाने), मोचन आदि की प्रक्रिया को सरल बनाकर ई-रूपी वाउचर के प्रसार-क्षेत्र एवं उसकी व्याप्ति/पहुँच को विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। इन उपायों से ई-रूपी डिजिटल वाउचरों के लाभों को प्रयोक्ताओं के अपेक्षाकृत व्यापक समूह तक पहुंचाया जा सकेगा तथा देश में डिजिटल भुगतानों की पैठ /वेधन को और अधिक गहनता प्रदान की जा सकेगी।

बैंक विदेशों की यात्रा करने वाले वाले भारतीयों को रूपे पूर्व-प्रदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड जारी करेंगे

विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए भुगतान के विकल्पों को विस्तारित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में एटीएमों, बिक्री केन्द्र (PoS) मशीनों में तथा ऑनलाइन व्यापारियों के पास उपयोग हेतु भारत में परिचालनरत बैंकों द्वारा रूपे पूर्व-प्रदत्त विदेशी मुद्रा कार्ड जारी किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, रुपे डेबिट, क्रेडिट एवं पूर्व-प्रदत्त कार्डों को विदेशी अधिकार क्षेत्रों में जारी किए जाने के लिए इस प्रकार समर्थ किया जायेगा कि उनका उपयोग भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा परिचालन जोखिमों के लिए पूंजी रखे जाने से संबन्धित मानदंडों को अंतिम रूप दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए परिचालन जोखिमों से पैदा होने वाले उनके एक्सपोजरों के समक्ष पर्याप्त विनियामक पूंजी रखने से संबंधित निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं को एक संदेश/सूचना में यह कहा है कि इन निर्देशों को कार्यान्वित किए जाने की प्रभावी तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी। न्यूनतम परिचालन जोखिम पूंजी (ORC) मापने के मौजूदा मानदंडों को उक्त निर्देशों के प्रभावी होने पर बासेल III के तहत नए मानकीकृत दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि व्यवसाय संकेतक (BI), जो परिचालन जोखिम के लिए वित्तीय विवरण पर आधारित एक परोक्षी (proxy) होता है, का उपयोग परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु किया जाएगा। व्यवसाय संकेतक में ब्याज, पट्टे (lease) और लाभांश तथा सेवाओं एवं वित्तीय संघटकों (components) जैसे पहलुओं (facets) का समावेश होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक में हाल ही में प्रवर्तित 'सीआईएमएस' डेटा खनन, सांख्यिकीय विश्लेषण में अतिशय बदलाव लाएगा

अपनी केंदीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) की शुरुआत के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक अपने सूचना प्रबंधन ढांचे में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु तत्पर है जिसका उपयोग संपुंजित (massive) डेटा प्रवाह, संकलन, विश्लेषण, सार्वजनिक प्रसार (public dissemination) तथा डेटा अभिशासन जैसे कार्यों को संपादित करने हेतु किया जाता है। केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली में विशाल आंकड़ों (big data) का प्रबंधन करने के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अब यह डेटा खनन (data mining) टेक्स्ट खनन, विजुअल विश्लेषण (visual analytics) तथा उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एक मंच बन जाएगा। आसन्न परिवर्तन अल्पावधि और दीर्घावधि में कई एक विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों (domains) में शीर्ष बैंक के आर्थिक विश्लेषण, पर्यवेक्षण, निगरानी तथा प्रवर्तन जैसे कार्यों में अतिशय बदलाव लाएँगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गिफ्ट सिटी में उपस्थिति रखने वाले बैंकों को गैर-खुदरा प्रयोक्ताओं को वितरण योग्य नहीं व्युत्पन्नी संविदाएं (NDDC) प्रदान करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में उपस्थिति रखने वाले बैंकों को घरेलू गैर-खुदरा (non-retail) खंडों को सुपुर्दगी योग्य नहीं (non-deliverable) व्युत्पन्नी (derivatives) संविदाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी है, इस प्रकार भारतीय रुपए में व्यापार के परिमाण को प्रोत्साहित किया है। अब तक केवल भारत से बाहर वाले निवासियों को ही इन संविदाओं को बेचने की अनुमति थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि तटवर्ती भारतीय रुपया सुपुर्दगी योग्य नहीं व्युत्पन्नी संविदा विकसित करने तथा निवासियों को उनके प्रतिरक्षण/बचाव व्यवस्था कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक तैयार करने हेतु लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाइयों (IBUs) वाले बैंकों को तटवर्ती बाजार में निवासी प्रयोक्ताओं को भारतीय रुपए में सुपुर्दगी योग्य नहीं व्युत्पन्नी संविदाएं प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था।

विनियमित संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के ढांचे के अनुसार दबावग्रस्त खातों के तकनीकी अपलेखन (write-offs), समझौता समाधान हेतु विचार कर सकती हैं

तर्कसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण अनुदेशों के साथ दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए समझौता समाधानों और तकनीकी अपलेखनों (write-offs) में सहायता करने हेतु एक व्यापक विनियामक ढांचा निर्धारित किया है। इस ढांचे अनुसार विनियमित संस्थाओं के लिए तयशुदा व्यवस्थाओं के रूप में भी ज्ञात समझौता समाधानों के लिए किसी उधारकर्ता के दावों का उससे (उधारकर्ता से) प्राप्य रकम का कुछ अंश तक त्याग करने की कीमत पर भी नकदी के साथ पूर्णत: समाधान करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ निर्धारित कर लेनी आवश्यक होंगी। ऐसे मामलों में जहां अनर्जक आस्तियां (NPAs) उधारकर्ता के ऋण खाते के स्तर पर बकाया पड़ी हों, किन्तु वे विनियमित संस्था द्वारा केवल लेखांकन के उद्देश्यों से (पूर्णत: या आंशिक रूप से) अपलेखित की/बट्टे खाते डाली गई हों, उन्हें तकनीकी अपलेखन माना जाएगा, किन्तु वे उधारकर्ता के समक्ष दावों की किसी प्रकार की माफी (waiver) की पात्र नहीं होंगी।

शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई चार पहलकदमियां

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को सुदृढ़ बनाने हेतु चार मुख्य पहलकदमियां की हैं। तदनुसार, अब शहरी सहकारी बैंकों को उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और दो वर्षों का समय प्राप्त होगा। अपने व्यवसाय को विस्तारित करने के उद्देश्य से अब शहरी सहकारी बैंक अपने परिचालन क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना पिछले वर्ष में उनकी शाखाओं की संख्या के 10% तक नयी शाखाएँ खोल सकते हैं। यह सुविधा प्रति वर्ष अनुमत अधिकतम 5 ऐसी शाखाओं की अनुवृद्धि (rider) के साथ प्राप्त होगी। शहरी सहकारी बैंकों के बोर्डों को इस नीति को अनुमोदित करना होगा तथा यह पता लगाना होगा कि वे वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित (FSWM) मानदंडों का पालन करते हों। इसके भी अतिरिक्त, अब शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान ही (at par) एकबारगी निपटान (One-time settlement) करने की अनुमति दे दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन निवासियों को आईएफएससी विदेशी विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने ''उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के अधीन भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs)'' को विप्रेषण के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है जिसमे निवासी व्यक्तियों को विदेशों में अध्ययन के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को निधियाँ विप्रेषित करने की अनुमति दी गई है। ये निधियाँ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में स्थित वित्तीय प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा विदेशी संस्थाओं को शुल्कों का भुगतान करने हेतु विप्रेषित की जा सकती हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में इस बात को स्वीकार किया गया है कि वित्तीय प्रबंधन, फिंटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के भीतर स्थित विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं को वित्तीय सेवा माना जाना चाहिए। इसके पूर्व उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को विप्रेषण केवल प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए ही किए जा सकते थे।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

चूकगत हानि गारंटी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का ढांचा फिन्टेक कंपनियों के लिए राहत

फिंटेक कंपनियों को एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल उधार में चूकगत हानि गारंटी व्यवस्था (default loss guarantee arrangements) की अनुमति देने हेतु एक विनियामक ढांचा जारी किया है। उक्त मुहिम द्वारा फिंटेक कंपनियों को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ उनकी उधार व्यवस्थाओं के संबंध में अति आवश्यक सुस्पष्टता प्रदान की गई है। इस व्यवस्था के अधीन बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी विनियमित संस्थाओं के चूकगत ऋण संविभाग/पोर्टफोलियो का एक निश्चित प्रतिशत किसी अन्य पक्ष, फिंटेक अथवा उधार सेवा-प्रदाता (LSP) द्वारा गारंटीकृत होता है। हाल ही में किए गए परिवर्तनों के अनुसार विनियमित संस्थाएं केवल उधार सेवा-प्रदाता या ऐसी अन्य संस्थाओं/कंपनियों के साथ पहली ऋणगत चूक गारंटी (first loan default guarantee) व्यवस्था कर सकती हैं जिनके साथ उन्होंने आउटसोर्सिंग व्यवस्था कर रखी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमाकर्ताओं को व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली में सहभागी के रूप मे शामिल किया, प्रसार क्षेत्र को विस्तारित किया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नकदी प्रवाह बढ़ाने के एक अभियान में अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा कंपनियों को व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (TReDS) में सहभागिता करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में तीन संस्थाएं/कंपनियाँ यथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विक्रेता, क्रेता तथा वित्त-पोषक (financier) व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली को परिचालित करते हैं।

विनियामक के कथन

समय पर और विश्वसनीय आंकड़े नीति-निर्धारण के स्तम्भ होते हैं : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा कि नीति-निर्धारण में साक्ष्य एवं विश्लेषण मुख्य निविष्टियां होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीति-निर्धारण और निगरानी प्रक्रियाएं अधिकाधिक रूप से डेटा-प्रधान होती जा रही हैं। डेटा गुणवत्ता की तीन 'सी' यथा पूर्णता (completeness), यथार्थता (correctness) एवं संगतता (consistency) के साथ समय पर तथा विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता परिष्कृत डेटा विश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। उन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टिंग प्रणाली का उदाहरण दिया। उस समय भी रिपोर्टिंग प्रणाली ने व्यवसाय निरंतरता, वैधीकृत सूचना के सीवन-रहित प्रवाह, जनता को सूचना के निर्बाध प्रसार तथा सक्रिय रूप से समर्थित ''घर से काम करें (Work From Home)'' वातावरण को सुनिश्चित किया।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप, निजी क्षेत्र के समर्थन की आवश्यकता होती है : डा॰ पात्रा

छठे एशिया क्लेम्स (KLEMS) सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ माइकल पात्रा ने तेजी से फैल रही इस मान्यता पर चिंता व्यक्त की कि सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक मंदी व्याप्त हो रही है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) में उत्पादकता वृद्धि को पुनर्ज्वलित (regnite) करने तथा उसे टिकाये रखने के लिए एक बहुविध (multi-pronged) व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। उन्होंने इस महत्प्रयास में भागीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया।

साइबर जोखिम वित्तीय स्थिरता के समक्ष बड़ा खतरा उपस्थित करते हैं, इनसे निपटने के लिए वैश्विक सहयोगी प्रयास जरूरी: जी 20 बैठक में विशेषज्ञों के विचार

भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर श्री एम॰ के॰ जैन ने कहा है कि साइबर परिप्रेक्ष्य से उभरने वाली वित्तीय स्थिरता की सुभेद्यताओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा पूंजी एवं चलनिधि निर्धारण किसी साइबर घटना को उस रूप में काबू में करने में उतने प्रभावी नहीं हो सकते जिस रूप में वे वित्तीय हानियों को न्यूनीकृत करते हैं। वे भारत की जी 20 अध्यक्षता के अधीन ''बैंकिंग क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास'' पर जी 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। साइबर हमले महत्वपूर्ण वित्तीय परिचालनों को विदीर्ण कर सकते हैं, जिनसे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थायें लेनदेनों को संसाधित करने, ग्राहकों के खातों तक पहुँचने अथवा आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थ हो सकते/सकती हैं। इसलिए उन्होंने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोगी प्रयासों की आसन्न आवश्यकता पर बल दिया तथा छः ऐसी विशिष्ट रणनीतियों का उल्लेख किया जिन्हें वैश्विक समुदाय अपना सकता है।

आर्थिक संवेष्टन

जून, 2023 की आरबीआई बुलेटिन के अनुसार अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार हैं :

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति फरवरी 2023 के 6.4 प्रतिशत से तीव्रतापूर्वक घटकर अप्रैल, 2023 में 4.7% रह गया।
- लाभप्रदता में तीन निरंतर तिमाहियों की मंदी के बाद विनिर्माण क्षेत्र में जनवरी - मार्च की तिमाही में निवल लाभों में बढ़ोतरी दर्ज हुई।
- सेवाओं, जिनका अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य-योजन में 60% से अधिक का अंशदान होता है, में महामारी के उपरांत आए उभार (resurgence) को बनाए रखे जाने की संभावना है।
- बाँड़ों के प्रतिफल में कठोरतापूर्वक श्रेणीबद्ध रीति से लेनदेन हुआ, जिससे स्थिर मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का पता चलता है।
- मई, 2023 में भारत का तिजारती व्यापार घाटा बढ़कर 22.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री स्वामीनाथन जानकीरामन	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
श्री जयकुमार एस. पिल्लई	उप प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ		
मद	23 जून, 2023 के दिन करोड रुपए	23 जून, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4866441	593198
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4310564	525440
1.2 सोना	363459	44304
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150408	18334
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42010	5120

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जुलाई, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	5.06
जीबीपी	4.9279
यूरो	3.400
जापानी येन	-0.076
कनाडाई डालर	4.7500
आस्ट्रेलियाई डालर	4.10
स्विस फ्रैंक	1.709680

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	5.50
स्वीडिस क्रोन	3.390
सिंगापुर डालर	3.7785
हांगकांग डालर	5.00819
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.0170

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

ई-रूपी

ई-रूपी एक ऐसा डिजिटल वाउचर होता है जिसे कोई लाभार्थी अपने फोन पर एसएमएस अथवा क्यूआर संहिता के रूप में प्राप्त करता/करती है। यह एक ऐसा पूर्व-प्रदत्त वाउचर होता है जिसे लेकर वह किसी ऐसे केंद्र पर जाकर मोचित कर सकता/सकती है जो उसे स्वीकार करता हो। ई-रूपी एक एकबारगी संपर्क-रहित एवं नकदी-रहित वाउचर पर आधारित भुगतान की विधि (mode) होता है जो प्रयोक्ताओं की उक्त वाउचर को किसी कार्ड डिजिटल भुगतान एप अथवा इन्टरनेट बैंकिंग अभिगम के बिना मोचित कराने में सहायता करता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

सामान्य इक्विटी टियर 1

सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) टियर 1 पूंजी का संघटक होती है तथा यह साधारण शेयरों एवं प्रतिधारित (retained) पूंजी को परिवेष्टित करती है। सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात किसी बैंक की जोखिम-भारित आस्तियों की उसकी पूंजी से तुलना करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
अपने ग्राहक को जानिए (KYC), धन -शोधन निवारण (AML)/ आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला (CFT)	11 से 12 जुलाई, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंक ऋण विश्लेषण पर कार्यक्रम	13 से 14 जुलाई, 2023	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमापत्र पर कार्यक्रम	13 से 15 जुलाई, 2023	
बैंकों में चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	17 से 18 जुलाई, 2023	
शेयर बाजार के उतार-चढ़ावों (bourse game) के साथ एकीकृत खजाना प्रबंधन पर कार्यक्रम	24 जुलाई से 03 अगस्त, 2023	कॉरपोरेट कार्यालय, मंबुई

संस्थान समाचार

''कारपोरेट अभिशासन, समुचित सावधानी एवं जोखिम प्रबंधन'' पर संगोष्ठी (Seminar)

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने इंटर-कनेक्टेड स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लि॰ (ICSI) के सहयोग से 30 जून, 2023 को अपने कॉरपोरेट कार्यालय, मुंबई में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उक्त संगोष्ठी की विषय-वस्तु थी ''कार्पोरेट अभिशासन, समुचित सावधानी एवं जोखिम प्रबंधन''। इस संगोष्ठी में विभिन्न सार्वजनिक/निजी/विदेशी बैंकों के सहभागियों ने भाग लिया तथा इसमें भाग लेने वालों द्वारा इसकी अच्छी-ख़ासी सराहना की गई।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन किया

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिया हाल, मुंबई में की गई। यह पाठ्यक्रम ई-शिक्षण (e-learning) के रूप में है जिसमें 4-6 घंटों के शिक्षण के उपरांत एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाता है। प्रमाणपत्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की भागीदारी में जलवायु प्रकटन (टीसीएफड़ी) पर वेबिनार

जलवायु से संबंधित उभरते वित्तीय प्रकटनों के प्रकाश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, बैंकरों और वित्तीय क्षेत्र के व्यावसायिकों के लिए 11 और 12 जुलाई, 2023 को प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से ''टीसीएफड़ी (जलवायु से संबन्धित वित्तीय प्रकटन पर कार्य बल)'' पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस द्विदिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु को किस विधि से अभिशासन एवं रणनीति के साथ एकीकृत किया जा सकता है तथा उसके साथ ही बैंक जलवायु से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं और जलवायु से संबन्धित संपुटक (metrics) एवं लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं इसके बारे में एक विहगावलोकन उपलब्ध कराना है। पंजीकरण हेतु लिंक्स इसके नीचे दिये गए हैं :

जुलाई 11- https//Zoom us/webinar/register/WN 3uMbnN9FOpWiAm24KL3nmA

जुलाई 12- https/Zoom us/webinar/register/WN 5VQvL3b5oNK8Bee6CSZxoQ

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामयिक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक

अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमति दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 से आयोजित की गई हैं। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

संशोधित जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए छद्म जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध

संस्थान जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के संशोधित ढांचे के अधीन सभी विषयों के लिए प्रति विषय 100 रुपए (जोड़िए कर) की नाममात्र दर पर छद्म (MOCK) जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देख सकते हैं।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

जुलाई - सितंबर, 2023 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: ''Digital Disruption – Challenges and Opportunities.''

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा सितंबर, 2023 से फरवरी, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

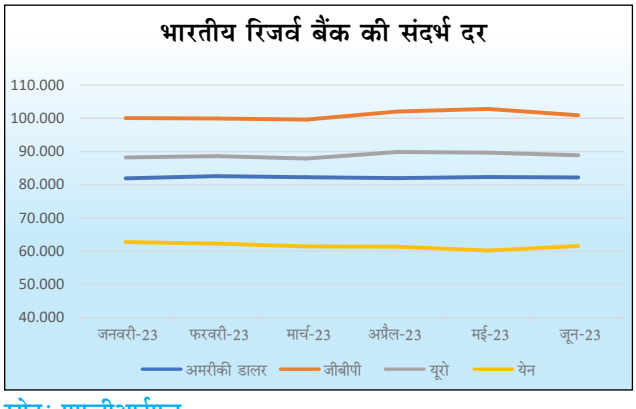

स्रोत: एफबीआईएल

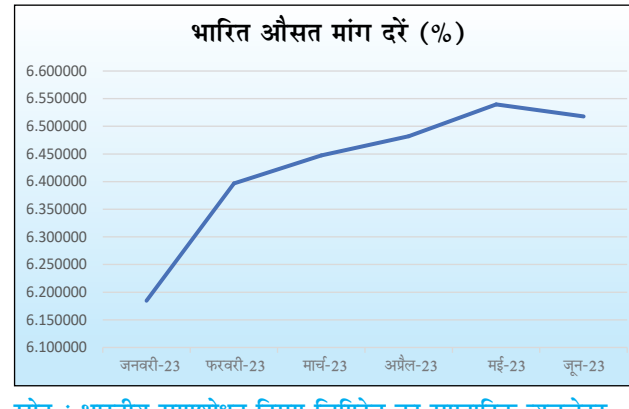

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

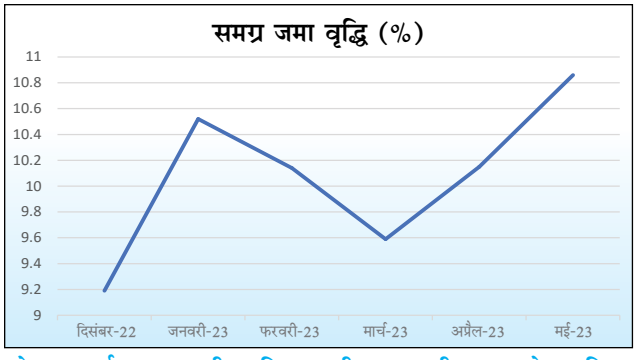

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2023

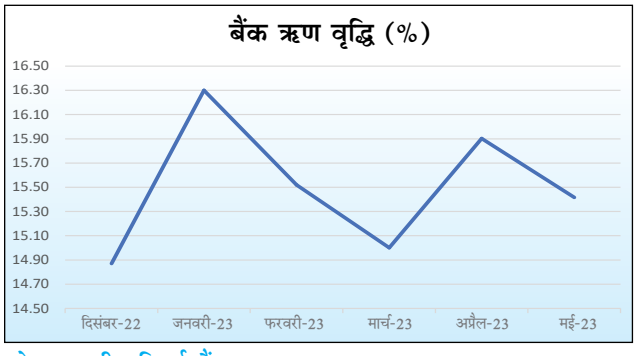

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

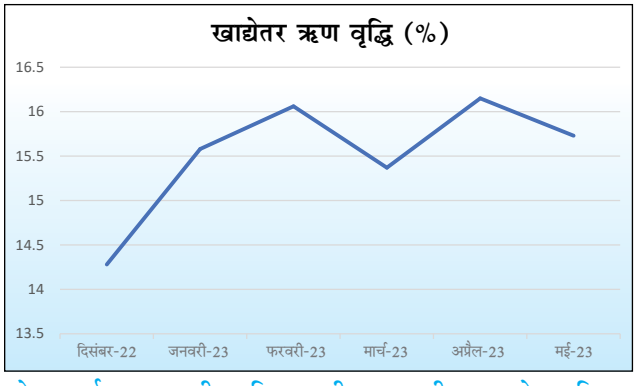

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2023

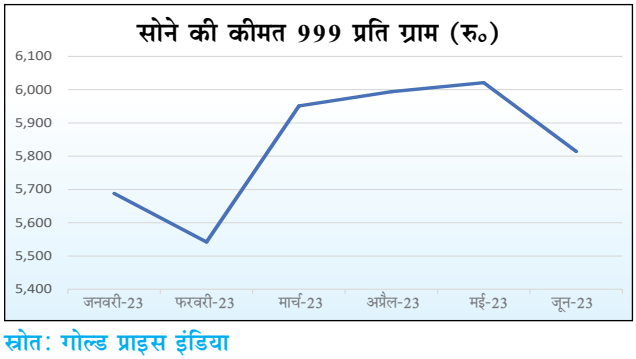

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

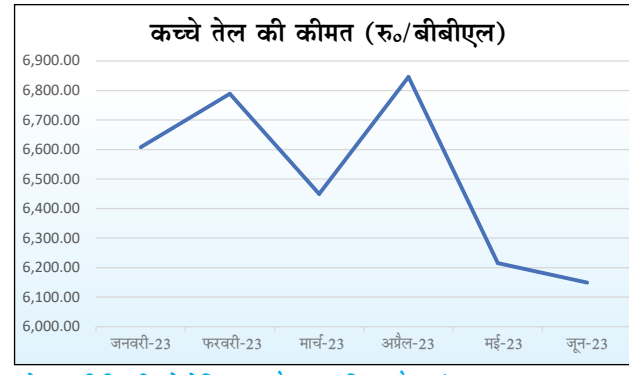

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

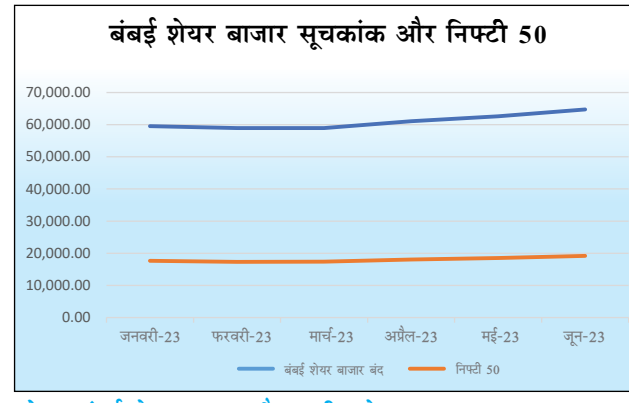

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in